UPUN010023952026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं0–191/2026

राजन उर्फ राजेन्द्र कुमार–––प्रति –––––––राज्य उत्तर प्रदेश आदि

20–07–2026

पत्रावली निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थी राजन उर्फ राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र 3क समर्थित शपथ–पत्र 4ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 थाना माखी जिला उन्नाव, प्रस्तुत किया जिसको न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात परिवाद विधिक त्रुटि के चलते निरस्त कर दिया गया जिसका पुनरीक्षण उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसको स्वीकार करते हुए ए0एस0जे0 प्रथम द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 28.01.2025 को निरस्त कर पुनः विधि–सम्मत आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया। इस मुकदमें से सम्बन्धित अन्य मु0 अ0 सं0 241/2024 अर्न्तगत धारा 109 बी0एन0एस0 व धारा 3/24 आर्म्स ऐक्ट थाना माखी जिला उन्नाव, एस0टी0 सं0 1638/2024 सरकार बनाम गोलू आदि सेशन जज उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारणवश उसके मुकदमें का विचारण उन्नाव स्थित न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त पत्रावली को न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव के न्यायालय से उन्नाव स्थित किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना तथा सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार वाद सं0 1006/2024 राजन बनाम संजय, थाना माखी उन्नाव न्यायालय में लम्बित है, विधिनुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन उक्त पत्रावली को सिविल जज जू0 डि0/एफ0टी0सी0 (सी0ए0डब्ल्यू0) उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली वाद सं0 1006/2024 राजन बनाम संजय, थाना माखी उन्नाव को विधिनुसार निस्तारण हेतु सिविल जज जू0 डि0/एफ0टी0सी0 (सी0ए0डब्ल्यू0) उन्नाव के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। तद्नुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–20.07.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP 6552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 17:07:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.